

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 के क्रम में उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्रांक यूपीसीड/उत्पा०/2025/712 दिनांक 09.05.2025 एवं पत्रांक यूपीसीड/उत्पा०/2025/713 दिनांक 09.05.2025 द्वारा खरीफ 2025 में आधारीय बीजों की सूचित फुटकर विक्रय दरों पर कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 13.05.2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर तथा कृषकों में वितरण हेतु फुटकर विक्रय दर निम्नानुसार निर्गत की जाती है :- (दर रू०/कु०)

क्रं.	फसल का नाम	कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर	फुटकर दर
1	धान मोटा : (समस्त प्रजाति)	4513 (रू० चार हजार पाँच सौ तेरह मात्र)	4613 (रू० चार हजार छः सौ तेरह मात्र)
2	धान महीन : (समस्त प्रजाति)	4531 (रू० चार हजार पाँच सौ इक्तीस मात्र)	4631 (रू० चार हजार छः सौ इक्तीस मात्र)
3	धान बासमती : (समस्त प्रजाति)	6250 (रू० छः हजार दो सौ पचास मात्र)	6350 (रू० छः हजार तीन सौ पचास मात्र)
4	ज्वार संकुल : (समस्त प्रजाति)	7068 (रू० सात हजार अड़सठ मात्र)	7168 (रू० सात हजार एक सौ अड़सठ मात्र)
5	बाजरा संकुल : (समस्त प्रजाति)	6490 (रू० छः हजार चार सौ नब्बे मात्र)	6590 (रू० छः हजार पाँच सौ नब्बे मात्र)
6	रागी/सांवा/कोदो : (समस्त प्रजाति)	8585 (रू० आठ हजार पाँच सौ पच्चासी मात्र)	8685 (रू० आठ हजार छः सौ पच्चासी मात्र)
7	अरहर अल्पावधि : (समस्त प्रजाति)	17342 (रू० सत्रह हजार तीन सौ बयालिस मात्र)	17442 (रू० सत्रह हजार चार सौ बयालिस मात्र)
8	सोयाबीन : (समस्त प्रजाति)	8235 (रू० आठ हजार दो सौ पैतीस मात्र)	8335 (रू० आठ हजार तीन सौ पैतीस मात्र)
9	तिल : समस्त प्रजाति	18914 (रू० अट्ठारह हजार नौ सौ चौदह मात्र)	19014 (रू० उन्नीस हजार चौदह मात्र)
10	अरहर (दीर्घावधि) : (समस्त प्रजाति)	16086 (रू० सोलह हजार छियासी मात्र)	16186 (रू० सोलह हजार एक सौ छियासी मात्र)

अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाईट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध है।

(डा० अमर नाथ मिश्र)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक:एस०एफ०-307-T /29टी/बीज दर-17/जायद/खरीफ-2025 दिनांक:14/05/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ को उक्त दरों को विभागीय वेबसाईट/डी०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डी०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 13.05.2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
8. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 के क्रम में उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्रांक यूपीसीड/उत्पा०/2025/712 दिनांक 09.05.2025 एवं पत्रांक यूपीसीड/उत्पा०/2025/713 दिनांक 09.05.2025 द्वारा खरीफ 2025 में आधारीय बीजों की सूचित फुटकर विक्रय दरों पर कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 13.05.2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर तथा कृषकों में वितरण हेतु फुटकर विक्रय दर निम्नानुसार निर्गत की जाती है :- (दर ₹०/कु०)

क्रं.	फसल का नाम	कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर	फुटकर दर
1	धान मोटा : (समस्त प्रजाति)	4513 (₹० चार हजार पाँच सौ तेरह मात्र)	4613 (₹० चार हजार छः सौ तेरह मात्र)
2	धान महीन : (समस्त प्रजाति)	4531 (₹० चार हजार पाँच सौ इकतीस मात्र)	4631 (₹० चार हजार छः सौ इकतीस मात्र)
3	धान बासमती : (समस्त प्रजाति)	6250 (₹० छः हजार दो सौ पचास मात्र)	6350 (₹० छः हजार तीन सौ पचास मात्र)
4	ज्वार संकुल : (समस्त प्रजाति)	7068 (₹० सात हजार अड़सठ मात्र)	7168 (₹० सात हजार एक सौ अड़सठ मात्र)
5	बाजरा संकुल : (समस्त प्रजाति)	6490 (₹० छः हजार चार सौ नब्बे मात्र)	6590 (₹० छः हजार पाँच सौ नब्बे मात्र)
6	रागी/सांवा/कोदो : (समस्त प्रजाति)	8585 (₹० आठ हजार पाँच सौ पच्चासी मात्र)	8685 (₹० आठ हजार छः सौ पच्चासी मात्र)
7	अरहर अल्पावधि : (समस्त प्रजाति)	17342 (₹० सत्रह हजार तीन सौ बयालिस मात्र)	17442 (₹० सत्रह हजार चार सौ बयालिस मात्र)
8	सोयाबीन : (समस्त प्रजाति)	8235 (₹० आठ हजार दो सौ पैंतीस मात्र)	8335 (₹० आठ हजार तीन सौ पैंतीस मात्र)
9	तिल : समस्त प्रजाति	18914 (₹० अट्ठारह हजार नौ सौ चौदह मात्र)	19014 (₹० उन्नीस हजार चौदह मात्र)
10	अरहर (दीर्घावधि) : (समस्त प्रजाति)	16086 (₹० सोलह हजार छियासी मात्र)	16186 (₹० सोलह हजार एक सौ छियासी मात्र)

अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाईट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध हैं।

(डा० अमर नाथ मिश्र)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक:एस०एफ०- 307-T /29टी/बीज दर-17/जायद/खरीफ-2025 दिनांक: 14/05/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ को उक्त दरों को विभागीय वेबसाईट/डी०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डी०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा दिनांक 13.05.2025 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
8. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।